

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन नया रायपुर

19 JUN 2018

क्रमांक एफ 1-45/2016/सात-4,
प्रति,

नया रायपुर दिनांक

1. आयुक्त,
भू-अभिलेख,
छत्तीसगढ़।
2. समस्त संभागायुक्त,
छत्तीसगढ़।
3. समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़।

विषय :- कोटवारों के पारिश्रमिक में वृद्धि।

-----0000-----

राज्य शासन एतद्वारा कोटवारों को प्रतिमाह दिये जाने वाले पारिश्रमिक में निम्नानुसार वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	सेवा भूमि के अनुसार ग्राम कोटवारों की श्रेणी	वर्तमान दर	वृद्धि दर
1	जिनके पास कोई सेवा भूमि नहीं है।	3000	4500
2	जिनके पास 3 एकड़ तक सेवा भूमि है।	2700	4050
3	जिनके पास 3 एकड़ से अधिक और 7.5 एकड़ से अधिक 7.5 एकड़ तक सेवा भूमि है।	2250	3375
4	जिनके पास 7.5 एकड़ से अधिक एवं 10 एकड़ तक सेवा भूमि है।	1500	2250
5	जिनके पास 10 एकड़ से अधिक सेवा भूमि है।	1500	2250

02/ यह वृद्धि दिनांक 01.07.2018 से लागू होगी।

03/ उक्त व्यय मांग संख्या-08-मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन (093), जिला स्थापना- योजना क्रमांक-1510-जिला स्थापना-02-मजदूरी-004-अन्य आकस्मिक मजदूरी के अंतर्गत विकलनीय होगा।

04/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2018-07-00823, दिनांक 18/06/2018 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एन.आर.साहू)

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,

01/

// 02 //

पृ०क्रमांक एफ 1-45/2016/सात-4,

नया रायपुर दिनांक

19 JUN 2018

प्रतिलिपि :-

- 1 महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
 - 2 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय नया रायपुर।
 - 3 विशेष सहायक, मान०मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
 - 4 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
 - 5 उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नया रायपुर।
 - 6 निज सहायक, सचिव, छ०ग०शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर।
 - 7 संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर छ.ग.।
 - 8 समस्त जिला कोषालय अधिकारी,छत्तीसगढ़।
 - 9 अध्यक्ष, कोटवार संघ, महासमुंद, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़।
 - 10 राजस्व विभाग की वेबसाईट में <http://cg.nic.in/revenue> में अपलोड करने हेतु।
 - 11 आदेश फोल्डर।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,

016
